(नियम–26)

जज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गुमनाराम पुत्र बागाराम जाति जाट, निवासी कपुरड़ी हाल निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		ईश्वरसिंह पुत्र नीम्बसिंह जाति राजपुत, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (14)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर 72/2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2026	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा तालों का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1221 रकबा 27.5186 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है तथा शेष भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने तथा अपने हिस्से की भूमि में मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त विवादित आराजी में वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर जबरन निर्माण कार्य कर प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा भूमि को अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है तथा जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीगण के खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का बैचान किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने, किसनी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हें बेदखल किया जाता है या निर्माण कार्य किया जाता है अथवा भूमि का बैचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा तालों का पार, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1221 रकबा 27.5186 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने, निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 06.03.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	1391-1404 26.02.2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.16	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद जरिये डिक्री खारिज किया जा चुका है अतः मूल वाद के खारिज होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं होने तथा सारहीन होने से आवेदन भी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	